रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 1987/वैसाख 25, 1909
No. 237] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 1987/VAISAKHA 25, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 15 मई, 1987

अधिसूचना

सं. 217/87—सीमा शुल्क बोर्ड

का.आ. 485(अ):—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्र प्रदेश राज्य में चित्तोर जिले में नागरी तालुका के ग्राम भेलावड़ी को शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों की स्थापना के प्रयोजनों के लिए, भाण्डागार केन्द्र घोषित करता है ।

[फा.सं. 474/13/87-सीमा शुल्क-7]

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 15th May, 1987

NOTIFICATION

No. 217/87-CUSTOMS

S.O. 485 (E) .—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Village Velavadi in Nagari Taluk in District Chittoor in the State of Andhra Pradesh to be a warehousing station for the purposes of setting up hundred per cent export-oriented undertakings.

[F. No. 474/13/87-CUS.VII]

अधिसूचना

सं. 218/87—सीमा शुल्क

का.आ. 486(अ):—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात राज्य में, जामनगर जिले के ग्राम सिक्का को भाण्डागार स्टेशन घोषित करता है ।

[फा.सं. 474/17/87-सीमा शुल्क-7]

एम. मायकल, अवर सचिव
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सी.शु.बो.

NOTIFICATION

No. 218/87-CUSTOMS

S.O. 486 (E) .—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Village Sikka in District Jamnagar in the State of Gujarat to be a warehousing station.

[F. No. 474/17/87-CUS.VII]

M. MICHAEL, Under Secy.
Central Board of Excise and Customs

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987